भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1771

दिनांक 13.03.2013/ 22 फाल्गुन, 1934 (शक) को उत्तर के लिए

दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन

1771. श्री साबिर अली :
श्री मोहम्मद अदीब :

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अभियोजन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करने का विचार रखती है;
(ख) क्या सरकार के समक्ष मौजूदा प्रक्रिया और पद्धतियों को कड़ा बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है जिनका सहारा संबंधित पक्ष, न्यायालयों में सुनवाई में विलंब करने के लिए अक्सर लेते हैं; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन)

(क) से (ग) : दण्ड प्रक्रिया संहिता, दिनांक 31.12.2009 और दिनांक 1.11.2010 से संशोधित की गई थी जिससे कि मामलों पर त्वरित विचारण तथा मौजूदा प्रक्रिया और स्थगित करने संबंधी पद्धतियों को कड़ा बनाने का प्रावधान किया जा सके । वर्तमान में, इस संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता में आगे कोई और संशोधन किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

*****